सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 14, शुक्रवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 04, 2023

संख्या प.6 (16)कृषि/ग्रुप-2/2004 :-जैसा कि राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप-2) विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 24.06.1964 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़ की स्थापना की गई थी।

अब चूंकि कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ द्वारा मण्डी क्षैत्र में फल-सब्जी गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार हनुमानगढ जंक्शन में फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व में	-	नगर परिषद हनुमानगढ के नाम गैर मुमकिन भूमि ।
पश्चिम में	-	कृषि भूमि सुमन गोयल पत्नि नरेश गोयल जाति अग्रवाल निवासी 73 के ब्लाक श्रीगंगानगर
उत्तर में	-	नगर परिषद हनुमानगढ के नाम गैर मुमकिन भूमि
एवं दक्षिण में	-	कृषि भूमि दीनदयाल, बाबूराम, विनोद कुमार, सुनील कुमार, हेमेन्द्र कुमार पिसरान राधाकृष्ण जाति अग्रवाल (चमडिया) हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ जंक्शन

फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड हनुमानगढ की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू- भाग आदि सम्मिलित होंगे

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।